तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/24	वकुलाप उपस्थित/ बहस हेतु अवसर चाहा। पत्रावली क्षैत्राधिकार/श्रवणाधिकार पर बहस हेतु दिनांक 5/8/24 को पेश हो।	
5/8/24	वकुलाप उपस्थित/ प्रकरण में क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार पर उभयपक्ष को सुनागया। वकील अपीलांट ने नगरपरिषद बूंदी द्वारा प्रदत्त आदेश क्रमांक 152 दिनांक 15/7/20 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यहां सुनवाई किये जाने का निवेदन कियागया, जबकि वकील रेस्पो० द्वारा निगरानी क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अभाव में यहां पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया। न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया तथा विधिक प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कियागया। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 10/06/2016 के अवलोकन से प्रकट है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73 की उपधारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अंतरण और संविदा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है इससे स्पष्ट है कि हस्तगत निगरानी में इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थी की निगरानी क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के अभाव में खारिज की जाती है तथा मूल पत्रावली सक्षम स्तर पर कार्यवाही हेतु प्रार्थी को लौटाई जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो जिला कलेक्टर; बून्दी	

बून्दी (राज.)